इटावा पुलिस

प्रेस नोट दिनांक-09.02.2024

#OPERATION CONVICTION

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते 03 गैंगेस्टर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा प्रत्येक को सुनाई गयी 3-3 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना बकेवर व मानीटरिंग / पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते 03 गैंगेस्टर अभियुक्तों को मा0 न्यायालय इटावा द्वारा सुनाई गयी 3- 3 वर्ष के कारावास की सजा तथा प्रत्येक को 5,000/- रूपये का दिया गया अर्थदंड।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 20.11.2003 को थाना बकेवर पर **मु0अ0सं0 307/2003 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम) में** पंजीकृत किया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्री रामचरन वर्मा द्वारा दौराने विवेचना साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के निर्देशन में प्रकरण की प्रभावी पैरवी कराते हुए थाना बकेवर पुलिस टीम पैरोकार का0 जयचन्द्र एवं मानीटरिंग सैल व ए0डी0जी0सी0 कृष्ण सहाय शुक्ला द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए समयानुसार समस्त गवाहों व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी। **जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तों को आज दिनांक 09.02.2024 को मा0 न्यायालय श्रीमान ADJ-10/ स्पे0 गैंग0 कोर्ट इटावा द्वारा 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 5,000/- रूपये का अर्थदंड दिया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. **मिंटू पुत्र स्व बाबूराम मिश्रा निवासी निवाडी कला थाना बकेवर जनपद इटावा**
2. **वीरेन्द्र पुत्र तिलक सिंह निवासी नगला बरी थाना बकेवर जनपद इटावा**
3. **रामनरेश उर्फ पप्पू पुत्र सोबरन सिंह निवा-सी उपरोक्त।**